


03.03.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मे जारी स्थगन विद्वा करना चाहते है। प्रार्थी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना—पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 08'11.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

